



राजस्थान सरकार  
निदेशालय महिला अधिकारिता  
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

☎0141-2718402 : commissionerwcd@rajasthan.gov.in : wcd.rajasthan.gov.in



क्रमांक:- एफ. 1(2)(73) स्था/निमअ/2008/पार्ट-1/2279 जयपुर, दिनांक 13-06-22

### आदेश

निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत मंत्रालयिक संवर्ग के पदों की दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत कैडर स्ट्रैन्थ निम्नानुसार पुनर्गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पद का नाम	वर्तमान में स्वीकृत पद	संशोधित कैडर स्ट्रैन्थ	विशेष विवरण
1.	संस्थापन अधिकारी, (ग्रेड पे 6000, L-15)	-	01	01 मुख्यालय स्तर पर
2.	प्रशासनिक अधिकारी, (ग्रेड पे 4800, L-12)	01	03	03 मुख्यालय स्तर पर
3.	अति० प्रशा. अधिकारी, (ग्रेड पे 4200, L-11)	05	08	08 मुख्यालय स्तर पर
4.	सहायक प्रशा. अधिकारी (ग्रेड पे 3600, L-10)	16	17	08 मुख्यालय स्तर पर एवं 07 संभाग स्तर पर एवं 02 पद बड़े जिले अलवर एवं बाडमेर
5.	वरिष्ठ सहायक, (ग्रेड पे 2800, L- 8)	31	24	जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में 01 पद (बांसवाडा, बारां, भीलवाडा, बूंदी, चित्तौडगढ, चूरु, दौसा, धौलपुर, झुंजरपुर, हनुमानगढ, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, झुन्झुनू, करौली, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक, प्रतापगढ)
6.	कनिष्ठ सहायक, (ग्रेड पे 2400, L- 5)	46	46	13 मुख्यालय स्तर पर एवं 33 जिला स्तर पर (प्रत्येक जिले में 01 पद)
योग		99	99	

अधीनस्थ विभागों में मंत्रालयिक संवर्ग के स्वीकृत पदों के पुनर्गठन किये जाने के संबंध में वित्त (व्यय) विभाग के अ०शा०टीप क्रमांक FD/E-2/कार्मिक(5)/2022-23 दिनांक 25.05.2022 के द्वारा प्रदत्त टिप्पणी के क्रम में निदेशालय महिला अधिकारिता के अन्तर्गत मंत्रालयिक संवर्ग में मुख्यालय स्तर पर पूर्व में सृजित 05 वरिष्ठ सहायक के पदों पर कार्मिक कार्यरत है। उपरोक्तानुसार संशोधित कैडर स्ट्रैन्थ के अतिरिक्त मुख्यालय के वरिष्ठ सहायक के पदों को अस्थायी रूप से सृजित माना जायेगा तथा जैसे जैसे पदोन्नति/सेवानिवृति से पद रिक्त होंगे, अस्थायी रूप से सृजित पद स्वतः ही समाप्त माने जायेंगे।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 162200895 दिनांक 08.06.2022 के अनुसरण में जारी की जाती है।

13-6-22  
(रामावतार मीना)  
आयुक्त  
महिला अधिकारिता



राजस्थान सरकार  
निदेशालय महिला अधिकारिता  
(महिला एवं बाल विकास विभाग)


जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

☎0141-2715402 : commissioner@wcd@rajasthan.gov.in : wcd.rajasthan.gov.in



क्रमांक:- प.1(2)(73) स्था/निमअ/ 2008/पार्ट-1/22798-73009 जयपुर, दिनांक : 13-06-22  
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग राज0 जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
7. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
8. आहरण वितरण अधिकारी, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
9. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, समस्त जिला।
10. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. बिल प्रशाखा/कैशियर/स्टोर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
12. आदेश पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक, म.अ.